



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना कोतवाली शहर

दिनांक 29.09.2025

थाना कोतवाली शहर पुलिस ने मु0अ0सं0 832/2025 धारा 65(1)/115(2)/351(2)/352 बीएनएस व धारा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट व धारा 67(बी) आई0टी0 एक्ट संबंधित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 28.09.2025 को वादिनी द्वारा थाना कोतवाली शहर पर तहरीर दी गयी कि अभियुक्त कमल पुत्र घनश्याम निवासी ग्राम कच्छपुरा थाना कोतावली जनपद बिजनौर द्वारा उसकी पुत्री के साथ गाली-गलौच व मारपीट कर गलत काम किया गया तथा जान से मारने की धमकी दी गयी तथा आपत्तिजनक वीडियो बनाकर वायरल कर दी गयी ।

इस संबंध में वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शहर पर मु0अ0सं0 832/2025 धारा 65(1)/115(2)/351(2)/352 बीएनएस व धारा 3/4(2) पॉक्सो एक्ट व धारा 67(बी) आई0टी0 एक्ट पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

आज दिनांक 29.09.2025 को थाना कोतवाली शहर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में से संबंधित अभियुक्त कमल पुत्र घनश्याम निवासी ग्राम कच्छपुरा थाना कोतावली जनपद बिजनौर को घटना में प्रयुक्त मोबाइल फोन सहित गिरफ्तार किया गया । आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

अभियुक्त का विवरण -

कमल पुत्र घनश्याम निवासी ग्राम कच्छपुरा थाना कोतावली जनपद बिजनौर

पुलिस टीम -

1. हे0का0 529 विवेक राणा थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
2. का0 1577 सौरभ खारी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।
3. का0 359 कैशव थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नगीना देहात

दिनांक 29.09.2025

थाना नगीना देहात पुलिस ने मु0अ0सं0 178/25 धारा 74/333 बीएनएस संबंधित अभियुक्त किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.07.2025 को वादिनी द्वारा थाना नगीना देहात पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 23.07.2025 अभियुक्त प्रदुम पुत्र राजेश निवासी ग्राम भदौला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर के द्वारा उसकी पुत्री के साथ छेडछाड की गयी ।

इस संबंध में वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0 178/25 धारा 74/333 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

आज दिनांक 29.09.2025 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में से संबंधित अभियुक्त प्रदुम पुत्र राजेश निवासी ग्राम भदौला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया । आवश्यक कार्यवाही की जा रही है ।

अभियुक्त का विवरण -

प्रदुम पुत्र राजेश निवासी ग्राम भदौला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

पुलिस टीम -

- 1.उ0नि0 हिमान्शु थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
- 2.का0 20 आशीष धामा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।



जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना नगीना देहात

दिनांक 29.09.2025

थाना नगीना देहात पुलिस ने चैकिंग के दौरान अभियुक्त को अवैध शस्त्र सहित किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही विवरण-

थाना नगीना देहात पुलिस ने चैकिंग के दौरान अभियुक्त सनूप पुत्र स्व० जितेन्द्र निवासी लाडपुर चांदला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को एक अवैध तमन्चा 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर सहित गिरफ्तार किया । बरामदगी के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु०अ०सं० 217/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया । अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।



अभियुक्त का विवरण -

सनूप पुत्र स्व० जितेन्द्र निवासी लाडपुर चांदला थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।

बरामदगी विवरण-

01 अवैध तमन्चा 12 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस 12 बोर ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 217/2025 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर
2. मु०अ०सं० 160/2025 धारा 115(2)/191(2)/ 351(2) बीएनएस थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर

पुलिस टीम -

1. उ०नि० ललित कुमार शर्मा थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
2. हे०का० 141 हरमीत सिंह थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।
3. है०का० 585 राजकुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर ।